[2022] 3 एस. सी. आर 1173

ए.

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम।

श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड (2022 की सिविल अपील संख्या 1984) 14 मार्च, 2022

बी.

[एल**.** नागेश्वर राव और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-Or.XXXIX, rr.1 और 2-अस्थायी निषेधाज्ञा-अपीलकर्ता और प्रतिवादी दोनों थर्मो-मैकेनिकल रूप से इलाज किए गए बार (टी. एम. टी. बार) के निर्माता और विक्रेता थे-प्रतिवादी-वादी ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष दीवानी मुकदमा दायर किया जिसमें उनके पंजीकृत व्यापार चिह्न 'श्याम' और इसके रूपों के उल्लंघन का दावा किया गया था और अपीलकर्ता-प्रतिवादियों द्वारा पारित करने के लिए भी-मुकदमे के साथ, अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक आवेदन दायर किया गया था-आवेदन में दावा किया गया था कि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को प्रतिवादी-वादी के व्यापार चिह्न 'श्याम' का उल्लंघन करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश-एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया अवलोकन किया कि 'श्याम' अपीलार्थियों के व्यावसायिक नाम का एक हिस्सा है।विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को "निर्णय" के रूप में नहीं समझा जा सकता था-एक "निर्णय" के रूप में माने जाने के लिए, आदेश में अंतिमता के लक्षण और जाल होना चाहिए और इस तरह के आदेश से पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार प्रभावित होने चाहिए-हालांकि एकल न्यायाधीश के आदेश से प्रत्यर्थी को कुछ असुविधा और पूर्वाग्रह हुआ होगा, लेकिन इसे "निर्णय" के रूप में नहीं माना जा सकता था-एकल न्यायाधीश के आदेश में अंतिमता के लक्षण और जाल नहीं थे-उक्त आदेश को "निर्णय" के रूप में नहीं माना जा सकता था और खंड पीठ को अपील मान्य नहीं थी-खंड पीठ का दृष्टिकोण कानून के विभिन्न सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था-यदि अपीलीय न्यायालय स्वयं निर्णय लेने के लिए आवश्यक मामलों का निर्णय करती है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

न्यायालय में न्यायालयों के पदानुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होगी-खंड पीठ यह देखने में विफल रही कि एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से या विकृत तरीके से कैसे किया गया था-इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला कैसे बनाया गया था-'सुविधा के संतुलन' और 'अपूरणीय क्षति' के परीक्षणों का उल्लेख भी नहीं किया गया था-उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक था।

बी.

अपील-लेटर्स पेटेंट अपील-लेटर्स पेटेंट में प्रयुक्त शब्द 'निर्णय'-आयोजितःहालांकि लेटर्स पेटेंट में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द को एक संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है जैसा कि सी. पी. सी. में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द को दिया गया है और इसे बहुत व्यापक और अधिक उदार व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए, हालांकि, साथ ही, परीक्षण न्यायाधीश द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को एक 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि लेटर्स पेटेंट के तहत अपील करने योग्य आदेशों की संख्या का कोई अंत नहीं होगा-'निर्णय' शब्द की अवधारणा निस्संदेह व्यापक रूप से अंतिम है और संकीर्ण अर्थ में नहीं-जहां एक आदेश प्रतिवादी के एक मूल्यवान अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसे निस्संदेह लेटर्स पेटेंट के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' के रूप में माना जाएगा ताकि अपील की जा सके।

सी.

डी.

ई.

इंजंक्शन-अस्थायी इंजंक्शन-अनुदान-प्रथम दृष्टया मामले के तीन परीक्षण, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय चोट।न्यायपालिका-न्यायालयों की पदानुक्रम-अपीलीय न्यायालय की भूमिका-आयोजितःनिचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद, एक अपीलीय विचारण न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सराहना करने और उपलब्ध सीमित क्षेत्र के भीतर शुद्धता या अन्यथा उसकी जांच करने का लाभ होता है-यदि अपीलीय विचारण न्यायालय स्वयं निचली विचारण न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए आवश्यक मामलों का फैसला करती है, तो विचारण न्यायालयों के पदानुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

एफ.

शब्द और वाक्यांश-शब्द 'निर्णय'-का अर्थ।

जी.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** हालांकि लेटर्स पेटेंट में उपयोग किए गए शब्द 'जजमेंट' को एक संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है जैसा कि सी. पी. सी. में उपयोग किए गए शब्द 'जजमेंट' को दिया गया है और इसे बहुत व्यापक और अधिक उदार व्याख्या प्राप्त होनी चाहिए, हालांकि, एक ही समय में, प्रत्येक ए

एच.

1175

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड ए

और विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को एक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि उन आदेशों की संख्या का कोई अंत नहीं होगा जो लेटर्स पेटेंट के तहत अपील योग्य होंगे।'निर्णय' शब्द में निस्संदेह व्यापक रूप से अंतिमता की अवधारणा है न कि संकीर्ण अर्थ में।जहाँ कोई आदेश प्रतिवादियों के मूल्यवान अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, वहाँ इसे निस्संदेह लेटर्स पेटेंट के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' के रूप में माना जाएगा ताकि एक बड़ी पीठ के समक्ष अपील की जा सके।**[**पैरा **17] [1191-**डी**-**एफ**]**

बी.

शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कनिया और एक अन्य

(1981) 4 एससीसी 8:[1982] 1 एस. सी. आर. 187-पर निर्भर था।

1.2.क्या आक्षेपित आदेश लेटर्स पेटेंट के खंड **15** के दायरे में एक 'निर्णय' होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालाँकि, इस तरह के आदेश को 'निर्णय' के रूप में समझने के लिए, इसमें अंतिमता के लक्षण और गुण होने चाहिए।'निर्णय' के दायरे में आने के लिए, इस तरह के आदेश को पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करना चाहिए, जो संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय करता है।मुकदमे के दौरान न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, हालांकि किसी एक पक्ष को कुछ असुविधा पैदा कर सकता है या कुछ हद तक किसी एक पक्ष के प्रति कुछ पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है, इसे 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता है।यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता खुला रहेगा।**[**पैरा **21] [1193-**बी**-**डी**]**

सी.

डी.

ई.

1.3.वर्तमान मामले में**,** वाद के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी**-**वादी के अधिकारों के संबंध में कोई निर्णय नहीं था।यद्यपि अंतरिम निषेधाज्ञा देने के संबंध में मुद्दे को स्थगित करने से**,** आदेश से कुछ असुविधा हो सकती है और कुछ हद तक**,** प्रतिवादी**-**वादी के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है**;** इसे 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बारे में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं था कि क्या प्रतिवादी**-**वादी अंतरिम निषेधाज्ञा देने का हकदार था या नहीं।इस प्रकार**,** एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में अंतिमता के लक्षण और गुण नहीं थे।यदि यह अन्यथा आयोजित किया जाता है**,** तो यह उन पक्षों के लिए अपीलों की बाढ़ खोल देगा जो स्थगन के आदेश को चुनौती दे सकते हैं या दूसरे पक्ष को जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए समय दे सकते हैं।एकल का दिनांक **2** अप्रैल **2019** का आदेश

एफ.

जी.

एच.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लेटर्स पेटेंट के खंड **15** के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' नहीं माना जा सकता है और इस तरह**,** उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील मान्य नहीं थी।**[**पैरा **25] [1194-**सी**-**एफ**]**

2. उच्च न्यायालय की खंड पीठ की ओर से अंतर्वर्ती आवेदन को निपटाने के लिए इसे नीचे की न्यायालय में भेजने के बजाय स्वयं निपटाने की चिंता को समझना मुश्किल है।जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं अपील पर निर्णय लेने में **8** से **9** महीने का समय लिया**,** तो यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के न्यायाधीशों का "मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से लंबा करने और समय की बर्बादी" से क्या तात्पर्य था।यदि डिवीजन बेंच के न्यायाधीश मुकदमेबाजी के लंबे समय तक चलने के बारे में बहुत चिंतित थे**,** तो वे एकल न्यायाधीश से एक निर्धारित अवधि के भीतर निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने का बहुत अच्छी तरह से अनुरोध कर सकते थे।**8-9** महीने की अवधि के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय**,** यह उनके द्वारा पहली बार में किया जा सकता था जब अपील सूचीबद्ध की गई थी।निचली विचारण न्यायालय और अपीलीय विचारण न्यायालय का पदानुक्रम मौजूद है ताकि निचली विचारण न्यायालय कानून के तय किए गए सिद्धांतों पर अपने विवेक का प्रयोग कर सके। निचली विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को दर्ज करने के बाद**,** एक अपीलीय विचारण न्यायालय को निचली विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सराहना करने और उपलब्ध सीमित क्षेत्र के भीतर उसकी शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का लाभ

होता है।यदि अपीलीय न्यायालय स्वयं निचली विचारण न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले मामलों का फैसला करता है, तो न्यायालयों के पदानुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।**[**पैरा **29] [1195-**एफ-एच**; 1196-**ए-बी**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

3.1.उच्च न्यायालय की खंड पीठ के न्यायाधीशों ने, नाम के लिए, यह भी नहीं देखा है कि एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से या विकृत तरीके से कैसे किया गया था।**[**पैरा **35] [1198-**जी**]**

एफ.

3.2 यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम निषेधाज्ञा देने के सवाल पर विचार करते समय, अदालतों को प्रथम दृष्टया मामले के तीन परीक्षणों, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति पर विचार करने की आवश्यकता होती है।एक छिटपुट अवलोकन के अलावा कि प्रतिवादी-वादी ने एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि ए द्वारा प्रथम दृष्टया मामला कैसे बनाया गया था।

जी.

एच.

1177

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड ए

प्रतिवादी-वादी।किसी भी मामले में, जहां तक सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के परीक्षणों का संबंध है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित निर्णय और आदेश में इनका उल्लेख भी नहीं है।उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक था।**[**पैरा **36] [1199-**बी-ई**]**

बी.

वांडर लिमिटेड और एक अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया पी. लिमिटेड **(1990)** सपॉर्ट एस. सी. सी. **727;** मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एल. एल. सी. अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री नतालिया वुरूज और अन्य बनाम नुजिवीडु सीड्स लिमिटेड के माध्यम से निदेशक के माध्यम से

और अन्य (2019) 3 एस. सी. सी. 381:[2019] 1 एससीआर 145 और

सी.

रेनैस्संस होटल होल्डिंग्स इंक. बनामबी. विजया साई और

अन्य 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 61-संदर्भित।संदर्भित निर्णय

[1982] 1 एससीआर **187**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **10 (1990)** सप्लीमेंट एस**.** सी**.** सी**. 727** पैरा **11** को संदर्भित **[2019] 1** एस**.** सी**.** आर**. 145** पैरा **11** को संदर्भित

डी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2022 की सिविल अपील सं. 1984।

ई.

2019 के ए. पी. ओ. No.91 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.12.2019 के निर्णय और आदेश से।

मुकुल रोहतगी, श्याम दीवान, जिष्णु साहा, सुश्री अपराजित सिंह, वरिष्ठ अधिवक्तागण , महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, गौरव मुखर्जी, अमोल दीक्षित, रुद्रमन भट्टाचार्य, सिद्धार्थ दास, संजय गिनोडिया, मनोज तिवारी, शुवाशीश सेनगुप्ता, ऋषभ पारिख, अनिरुद्ध भाटिया, सुश्री आयुषी आमोद, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्तागण अपीलार्थियों के लिए।

एफ.

रंजीत कुमार, नीरज किशन कौल, वरिष्ठ अधिवक्तागण , एन. जी. खेतान, देबनाथ घोष, अजय भार्गव, सुश्री वनिता भार्गव, सायन रॉयचौधरी, आयुष अग्रवाल, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, सुश्री वैभवी पांडे, ध्रुव शर्मा, तोशिव गोयल, राघव अग्रवाल, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी. आर. गवई, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील 24 दिसंबर 2019 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जो उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 को पारित आदेश से उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को विपक्ष में हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया था और मामले को तीन सप्ताह के बाद पोस्ट करने का निर्देश दिया था।उक्त आदेश द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 6 द्वारा कवर किए गए उत्पादों की बिक्री के साप्ताहिक खाते बनाए रखें, जो 'श्याम' चिह्न के तहत बेचे जाते हैं।

बी.

सी.

3. वर्तमान मामले में तथ्य बहुत अधिक विवाद में नहीं हैं।प्रतिवादी-वादी ने ट्रेडमार्क के उल्लंघन और पारित करने के लिए अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।यह प्रतिवादी-वादी का मामला है कि उसके पास 'श्याम' शब्द के संबंध में व्यापार चिह्न पंजीकरण है और विभिन्न लेबल चिह्न हैं जिनमें 'श्याम' शब्द प्रमुखता से दिखाई देता है।प्रतिवादी-वादी और अपीलकर्ता दोनों-प्रतिवादी, अन्य बातों के साथ-साथ, थर्मो-मैकेनिकल रूप से उपचारित बार (इसके बाद "टी. एम. टी. बार" के रूप में संदर्भित) का निर्माण और बिक्री करते हैं।यह प्रतिवादी-वादी का मामला है कि वर्ष 2015 में, यह पता चला कि अपीलार्थी-प्रतिवादी अपने उत्पादों में 'श्याम' चिह्न का उपयोग कर रहे थे।इसलिए प्रतिवादी-वादी ने अपने वकील के माध्यम से इस तरह के उपयोग पर आपत्ति जताई।यह प्रतिवादी-वादी का मामला है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादी उन उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए सहमत हुए जिन्हें उन्होंने 'श्याम' चिह्न के साथ बनाया था और भविष्य में अपने उत्पादों पर उक्त चिह्न 'श्याम' का उपयोग नहीं करेंगे।

डी.

ई.

एफ.

4. यह प्रतिवादी-वादी का मामला है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने 'श्याम इन्फ्रा' चिह्न के पंजीकरण के लिए आवेदन किया था।प्रतिवादी-वादी ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी।यह आगे का मामला है कि चूंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने अपना जवाबी बयान दायर नहीं किया था, इसलिए आवेदन समाप्त हो गया और इसे परित्यक्त माना गया।5. यह प्रतिवादी-वादी का मामला है कि 2018 के अंत में, अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने अपने टीएमटी बार की पैकेजिंग पर 'श्याम धातु' शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया।प्रतिवादी-वादी के अनुसार, हालाँकि

अपीलकर्ता-प्रतिवादियों ने अपने चालान और लेखन सामग्री पर 'श्याम' शब्द का उपयोग किया था, लेकिन उन्होंने ए का उपयोग नहीं किया था।

जी.

एच.

1179

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

उनके रैपर पर 'श्याम' शब्द लिखा था जिसमें उनके टी. एम. टी. बार पैक किए गए थे।प्रतिवादी-वादी के अनुसार, यह अपीलकर्ता-प्रतिवादियों द्वारा केवल प्रतिवादी-वादी के बढ़ते और बढ़ते व्यवसाय का लाभ उठाने के लिए और इस इरादे से किया गया था कि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों द्वारा निर्मित और बेचे जाने वाले उत्पादों को प्रतिवादी-वादी के रूप में पारित किया जा सकता है।इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी-वादी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष 2019 का सी. एस. संख्या 63 होने के नाते एक दीवानी मुकदमा दायर विद्वान , जिसमें उनके पंजीकृत व्यापार चिह्न 'श्याम' और इसके रूपों के उल्लंघन का दावा विद्वान गया और अपीलकर्ता-प्रतिवादियों द्वारा पारित करने के लिए भी।

बी.

6. मुकदमे के साथ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (इसके बाद "सी. पी. सी". के रूप में संदर्भित) के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए 2019 के सी. एस. संख्या 63 में 2019 का जी. ए. No.857 आवेदन दायर किया गया।उक्त आवेदन में मूल रूप से याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों को प्रतिवादी-वादी के व्यापार चिह्न 'श्याम' और इसके रूपों और विशेष रूप से व्यापार चिह्न पंजीकरण संख्या 987596 का उल्लंघन करने से रोकने के आदेश का दावा किया गया था। उक्त आवेदन में अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को किसी भी तरह से, 'श्याम' शब्द या उसके समान किसी अन्य व्यापार चिह्न वाले व्यापार चिह्नों का उपयोग करके प्रत्यर्थी-वादी के उत्पादों को पारित करने और दूसरों को पारित करने में सक्षम बनाने के लिए निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

सी.

डी.

7. उक्त मुकदमा और अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए आवेदन मार्च, 2019 के महीने में दायर किया गया था।यह आवेदन 2 अप्रैल 2019 को विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए विचार के लिए आया था।विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रथम दृष्टया यह टिप्पणी की कि उनका विचार था कि 'श्याम' अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के व्यावसायिक नाम का

हिस्सा होने के कारण, अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को अपनी पैकेजिंग पर उक्त शब्द 'श्याम' का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जानी चाहिए।विद्वत एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को विपक्ष में हलफनामा विद्वान करने के लिए समय देना उचित समझा, जिसे उक्त आदेश की तारीख से दो सप्ताह के भीतर विद्वान करने का निर्देश दिया गया था।यह भी स्पष्ट किया गया कि समय बढ़ाने के लिए किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।विद्वान एकल न्यायाधीश ने मामले को तीन सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।उक्त आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे कक्षा 6 द्वारा कवर किए गए उत्पादों की बिक्री के साप्ताहिक खाते बनाए रखें, जो 'श्याम' चिह्न के तहत बेचे जाते हैं।विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट विद्वान कि उक्त आदेश में उनके द्वारा की गई टिप्पणी प्रथम दृष्टया पारित करने के उद्देश्य से थी

ई.

एफ.

जी.

एच.

शपथपत्रों के आदान-प्रदान के बाद उक्त आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के समय अंतरिम स्तर पर एक आदेश और उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

8. विद्वान एकल न्यायाधीश के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी-वादी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 24 दिसंबर 2019 के विवादित फैसले और आदेश द्वारा हालांकि कहा है कि "2 अप्रैल 2019 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को संशोधित विद्वान गया है", लेकिन वास्तव में, अपील की अनुमति दी है और एक निषेधाज्ञा दी है जो अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को किसी भी तरह से, 'श्याम' चिह्न के साथ अपने सामान का निर्माण, बिक्री या विज्ञापन करने या मुकदमे के निपटारे तक 'श्याम' चिह्न वाले लेबल या उपकरण के साथ प्रतिबंधित करती है।इससे व्यथित होने के कारण, वर्तमान अपील।

बी.

सी.

9. इस न्यायालय ने 16 जून 2020 को नोटिस जारी करते हुए विवादित फैसले और आदेश पर रोक लगा दी थी।इसलिए प्रतिवादी-वादी ने ठहराव खाली करने के लिए एक आवेदन दायर किया था।हालाँकि, इस न्यायालय ने मुख्य अपील पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेना उचित पाया।इस प्रकार, हमने पक्षों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील को विस्तार से सुना है।

डी.

10. अपीलार्थियों-प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रत्यर्थी-वादी द्वारा उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विद्वान अपील मान्य नहीं है।शाह के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए

ई.

बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी**.** कनिया और अन्य **1,** विद्वान वरिष्ठ

वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 को पारित आदेश को उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 15 (जिसे इसके बाद "लेटर्स पेटेंट" के रूप में संदर्भित विद्वान गया है) के अर्थ के भीतर एक "निर्णय" नहीं माना जा सकता है और इस तरह, अपील स्वयं विचारणीय नहीं थी।उन्होंने प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष विवादित निर्णय और आदेश के माध्यम से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और न तो अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी और न ही इनकार विद्वान था।श्री रोहतगी ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश न तो अंतिम निर्णय है और न ही प्रारंभिक निर्णय और न ही मध्यस्थ/अंतर्वर्ती निर्णय है।विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत विद्वान कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश शाह बाबूलाल खिमजी (उपरोक्त) के मामले में अपने फैसले के पैरा (120) में इस न्यायालय द्वारा बनाई गई किसी भी श्रेणी में नहीं आएगा।

एफ.

जी.

1 (1981) 4 एससीसी 8 ए

एच.

1181

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

11. श्री रोहतगी ने आगे कहा कि किसी भी मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को या तो असंभव या विकृत नहीं माना जा सकता है, जो हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

विद्वान वरिष्ठ वकील वांडर लिमिटेड और एक अन्य बनाम एंटोक्स इंडिया पी. लिमिटेड 2 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है।श्री रोहतगी ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वास्तव में आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को हड़प लिया है। मोनसेंटो के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए

बी.

प्रौद्योगिकी एल**.** एल**.** सी**.** अधिकृत प्रतिनिधि सुश्री नतालिया वुरूज और अन्य बनाम नुजिवीडु सीड्स लिमिटेड निदेशक के माध्यम से

और अन्य **3,** उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के लिए ऐसा करना अस्वीकार्य था।

सी.

12. प्रतिवादी-वादी की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नीरज किशन कौल ने प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में उचित रूप से हस्तक्षेप विद्वान था।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि जहां भी पंजीकृत व्यापार चिह्न का उल्लंघन स्थापित होता है, वहां निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाएगा।वह हाल के फैसले पर निर्भर है।

डी.

रेनैस्सं होटल होल्डिंग्स इंक. बनाम के मामले में इस न्यायालय का।बी. विजया साई और अन्य 4

13. जहाँ तक उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील की स्थिरता के संबंध में अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों की आपत्ति का संबंध है, श्री कौल प्रस्तुत करेंगे कि शाह बाबूलाल खिमजी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों की तुलना में प्रतिवादी-वादी के मामले का समर्थन करेगा।उन्होंने प्रस्तुत विद्वान कि चूंकि विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा अंतरिम आदेश की गैर-मंजूरी द्वारा प्रतिवादी-वादी के एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकार का उल्लंघन विद्वान गया था, इसलिए अपील बहुत अधिक मान्य थी।उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी-वादी ट्रेडमार्क 'श्याम' का पंजीकृत मालिक है।इस प्रकार, एक बार जब इसके उल्लंघन को विद्वान एकल न्यायाधीश के ध्यान में लाया गया, तो विद्वान एकल न्यायाधीश को अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को उक्त व्यापार चिह्न का उपयोग करने और उनके सामान को प्रतिवादी-वादी के रूप में पारित करने से रोकने के लिए अंतरिम राहत प्रदान करनी चाहिए थी।इसलिए उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

2 1990 पूरक एस. सी. सी. 727

3 (2019) 3 एस. सी. सी. 381

एच.

4 2022 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 61 [2022 की सिविल अपील No.404 दिनांक 19.01.2022]

14. हालाँकि दोनों पक्षों ने मामले के गुण-दोष पर इस न्यायालय को विस्तार से संबोधित किया है और हमें भारी-भरकम दस्तावेजों के माध्यम से भी लिया है, लेकिन हमें उन मुद्दों में जाना आवश्यक नहीं लगता है।वर्तमान अपील उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा एक अंतर-अदालत अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले एक आदेश से उत्पन्न होती है, जिसके अनुसार विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को विपक्ष में हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया था और निषेधाज्ञा की मांग करने वाले आवेदन की सुनवाई को स्थगित कर दिया था।

बी.

15. हमारा विचार है कि इस न्यायालय द्वारा गुण-दोष पर कोई भी अवलोकन किसी भी पक्ष के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा और इसलिए, हम विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील की वैधता और उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दृष्टिकोण की शुद्धता के संबंध में प्रश्न पर विचार करने के लिए खुद को सीमित कर रहे हैं।

सी.

16. लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच में एक अंतर-अदालत अपील होती है।लेटर्स पेटेंट का खंड 15 एक पक्ष को एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील करने में सक्षम बनाता है।शाह बाबूलाल खिमजी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ को इस सवाल पर विचार करने का अवसर मिला कि लेटर्स पेटेंट के खंड 15 में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द का क्या अर्थ होगा।उक्त मामले में, वादी ने एक अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए बॉम्बे उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एक मुकदमा दायर किया था और वाद-संपत्ति के प्राप्तकर्ता को नियुक्त करके और प्रतिवादी को वाद-संपत्ति के निपटान से रोककर अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया था।उच्च

न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रस्ताव के नोटिस को सुनने के बाद उक्त आवेदन को खारिज कर दिया था।इसलिए वादी ने उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष अपील दायर की।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश के रिसीवर नियुक्त करने और निषेधाज्ञा देने से इनकार करने के आदेश को 'निर्णय' नहीं माना जा सकता है जैसा कि लेटर्स पेटेंट के खंड 15 में विचार किया गया है।इससे व्यथित होकर वादी ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने अपने और न्यायमूर्ति वरदराजन के लिए बोलते हुए इस प्रकार टिप्पणी की:109. खंड 15 यह परिभाषित करने का कोई प्रयास नहीं करता है कि निर्णय क्या है।चूँकि लेटर्स पेटेंट एक विशेष कानून है जो अपना क्षेत्र बनाता है, इसलिए हमारे लिए 1908 की संहिता की धारा 2 (9) में दिखाई देने वाले "निर्णय" शब्द की परिभाषा को पेश करना संभव नहीं होगा, जो लेटर्स पेटेंट में "निर्णय" को परिभाषित करता है:

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1183

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

"''निर्णय' से न्यायाधीश द्वारा किसी डिक्री या आदेश के आधार पर दिया गया बयान अभिप्रेत है।"

110. माउंट में। शाहज़ादी बेगम, बनाम अलाक नाथ [ए. आई. आर. 1935 ऑल 620:1935 एएलजे 681:157 आई. सी. 347], सुलेमान, सी. जे. ने बहुत सही ढंग से बताया कि चूंकि लेटर्स पेटेंट का मसौदा 1882 की संहिता के पारित होने से बहुत पहले तैयार किया गया था, इसलिए लेटर्स पेटेंट में उपयोग किया गया "निर्णय" शब्द सिविल प्रक्रिया संहिता में निहित "निर्णय" की परिभाषा से संबंधित या सीमित नहीं हो सकता है जो लेटर्स पेटेंट दिए जाने के लंबे समय बाद अस्तित्व में आया था।इस संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की [29 कैल एलजे 225]:

बी.

सी.

“कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चूंकि लेटर्स पेटेंट का मसौदा 1882 की पूर्ववर्ती संहिता के पारित होने से बहुत पहले तैयार किया गया था, इसलिए उसमें उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द का अर्थ मौजूदा सिविल प्रक्रिया संहिता में परिभाषित निर्णय नहीं है।साथ ही 'निर्णय' शब्द में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पारित प्रत्येक संभावित आदेश, अंतिम, प्रारंभिक या अंतर्वर्ती शामिल नहीं है।”

डी.

111. हम मामले के इस पहलू पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं।

ई.

112. 1908 की संहिता की धारा 2 की उप-धारा (9) में "निर्णय" शब्द की परिभाषा "डिक्री" की परिभाषा से जुड़ी हुई है जिसे धारा 2 की उप-धारा (2) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है:“ ‘डिक्री 'का अर्थ है किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति जो, जहाँ तक इसे व्यक्त करने वाले न्यायालय के संबंध में है, वाद में विवादग्रस्त सभी या किसी भी मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है और प्रारंभिक या अंतिम हो सकता है।यह माना जाएगा कि इसमें धारा 47 या धारा 144 के भीतर किसी शिकायत की अस्वीकृति और किसी भी प्रश्न का निर्धारण शामिल है, लेकिन इसमें शामिल नहीं होगा -

एफ.

जी.

((क) कोई निर्णय जिसमें से कोई अपील किसी आदेश की अपील के रूप में होती है, या

(ख) चूक के लिए बर्खास्तगी का कोई आदेश।

स्पष्टीकरण — एक डिक्री प्रारंभिक होती है जब मुकदमे को पूरी तरह से लागू करने से पहले आगे की कार्यवाही की जानी होती है।

एच.

निकाल दिया।यह अंतिम होता है जब इस तरह का निर्णय मुकदमे का पूरी तरह से निपटारा करता है।यह आंशिक रूप से प्रारंभिक और आंशिक रूप से अंतिम हो सकता है।”

113. इस प्रकार, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत, एक निर्णय में न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के कारण और आधार शामिल होते हैं।चूंकि एक निर्णय डिक्री के कारणों का गठन करता है, इसलिए यह निश्चित रूप से एक औपचारिक निर्णय होना चाहिए जो सभी या किसी भी विवादग्रस्त मामले के संबंध में पक्षों के अधिकारों को निर्णायक रूप से निर्धारित करता है। सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा परिभाषित निर्णय की अवधारणा अपेक्षाकृत संकीर्ण प्रतीत होती है और धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा निहित सीमाओं को अक्षर पेटेंट के खंड 15 में उपयोग किए गए "निर्णय" शब्द की परिभाषा में भौतिक रूप से शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि पत्र पेटेंट ने सलाह दी है कि कहीं भी "आदेश" या "डिक्री" शब्दों का उपयोग नहीं किया है। इसलिए, पत्र पेटेंट देने वालों का इरादा यह था कि "निर्णय" शब्द को सिविल प्रक्रिया संहिता में उपयोग किए गए शब्द "निर्णय" की तुलना में बहुत व्यापक और अधिक उदार व्याख्या मिलनी चाहिए।साथ ही, यह नहीं कहा जा सकता है कि एक परीक्षण न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी आदेश एक निर्णय के बराबर होगा; अन्यथा उन आदेशों की संख्या का कोई अंत नहीं होगा जो लेटर पेटेंट के तहत अपील योग्य होंगे।हमें ऐसा लगता है कि "निर्णय" शब्द में निस्संदेह एक व्यापक और संकीर्ण अर्थ में अंतिमता की अवधारणा है।दूसरे शब्दों में, एक निर्णय तीन प्रकार का हो सकता हैः

बी.

सी.

डी.

ई.

(1) एक अंतिम निर्णय।— एक ऐसा निर्णय जो जहां तक विचारण न्यायाधीश का संबंध है, विवाद में सभी प्रश्नों या मुद्दों का निर्णय करता है और निर्णय लेने के लिए कुछ और नहीं छोड़ता है।इसका अर्थ यह होगा कि निर्णय के आधार पर, वादी द्वारा लाया गया मुकदमा या कार्रवाई खारिज कर दी जाती है या आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से घोषित की जाती है।विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश निर्विवाद रूप से और निर्विवाद रूप से पेटेंट पत्र के अर्थ के भीतर एक निर्णय है और यहां तक कि एक डिक्री के बराबर है ताकि ऐसे निर्णय से डिवीजन बेंच में अपील की जा सके।

एफ.

जी.

(2) एक प्रारंभिक निर्णय।— इस तरह का निर्णय दो रूप ले सकता है-(ए) जहां विचारण न्यायाधीश एक आदेश द्वारा मुकदमे के गुण-दोष में गए बिना मुकदमे को खारिज कर देता है, लेकिन केवल प्रतिवादी या ए द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर।

एच.

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पक्ष इस आधार पर विरोध करता है कि मुकदमा बनाए रखने योग्य नहीं है।यहाँ भी, चूंकि वाद का अंत में किसी न किसी तरह से निर्णय लिया जाता है, इसलिए विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश अंततः एक निर्णय होगा जो जहां तक विचारण न्यायाधीश का संबंध है और इसलिए वृहद पीठ के लिए अपील योग्य है।(ख) एक अन्य रूप जो एक प्रारंभिक निर्णय ले सकता है, वह यह है कि जहां विचारण न्यायाधीश वाद की स्थिरता के संबंध में प्रतिवादी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को सुनने के बाद आदेश पारित करता है, जैसे कि अधिकारिता का अवरोध, न्यायिक स्थिति, वाद में एक स्पष्ट दोष, धारा 80 के तहत नोटिस की अनुपस्थिति और इसी तरह की, और इन आपत्तियों का निर्णय प्रतिवादी के खिलाफ विचारण न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, तो मुकदमा समाप्त नहीं किया जाता है, लेकिन जारी रहता है और गुण-दोष के आधार पर मुकदमा चलाया जाना है, लेकिन आपत्तियों को खारिज करने वाले विचारण न्यायाधीश का आदेश निस्संदेह प्रतिवादी के एक मूल्यवान अधिकार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, जो अपनी आपत्तियों को वैध होने पर प्रारंभिक आधारों पर मुकदमे को खारिज करने का हकदार है।इस प्रकार, ऐसा आदेश भले ही वाद को जीवित रखता हो, निस्संदेह मुकदमे के एक महत्वपूर्ण पहलू का निर्णय करता है जो प्रतिवादी के एक महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित करता है और इसलिए, इसे एक निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए ताकि एक बड़ी पीठ के समक्ष अपील की जा सके।

बी.

सी.

डी.

(3) मध्यस्थ या अंतर्वर्ती निर्णय।— अधिकाँश

अंतर्वर्ती आदेश जिनमें अंतिमता की गुणवत्ता होती है, आदेश 43 नियम 1 के खंड (ए) से (डब्ल्यू) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं और हमारे द्वारा पहले से ही पत्रों के अर्थ के भीतर निर्णय माने गए हैं और इसलिए, अपील योग्य हैं।ऐसे अंतर्वर्ती आदेश भी हो सकते हैं जो आदेश 43 नियम 1 द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिनमें अंतिमता की विशेषताएँ और जाल भी हैं, आदेश पक्ष के मूल्यवान अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं या सहायक कार्यवाही में मुकदमे के एक महत्वपूर्ण पहलू का निर्णय ले सकते हैं।इससे पहले कि ऐसा आदेश एक निर्णय हो सकता है, संबंधित पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव अप्रत्यक्ष या दूरस्थ के बजाय प्रत्यक्ष और तत्काल होना चाहिए।उदाहरण के लिए, जहां सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत एक वाद में विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी को वाद का बचाव करने की अनुमति देने से इनकार

कर देता है, तो आदेश सीधे प्रतिवादी को प्रभावित करता है क्योंकि वह वाद का बचाव करने का एक मूल्यवान अधिकार खो देता है और उसका उपाय केवल उस साक्ष्य का खंडन करने का मौका दिए बिना अपने साक्ष्य पर वादी के मामले को लड़ने तक सीमित है।चूंकि इस तरह का आदेश प्रतिवादी के एक मूल्यवान अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, इसलिए यह होगा

ई.

एफ.

जी.

एच.

निस्संदेह पत्र पेटेंट के अर्थ के भीतर एक निर्णय के रूप में माना जाएगा ताकि एक बड़ी पीठ के लिए अपील की जा सके।इसके विपरीत मामले को इसी तरह के मुकदमे में लें जहां विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी को मुकदमे का बचाव करने की अनुमति देता है, हालांकि वादी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, लेकिन उसे हुई क्षति या पूर्वाग्रह प्रत्यक्ष या तत्काल नहीं है, बल्कि न्यूनतम प्रकृति का है और बहुत दूर है क्योंकि वादी को अभी भी यह दिखाने का पूरा अधिकार है कि बचाव झूठा है और मुकदमे में सफल होता है।इस प्रकार, विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित ऐसा आदेश पत्र पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक निर्णय के बराबर नहीं होगा, बल्कि विशुद्ध रूप से एक अंतर्वर्ती आदेश होगा।इसी तरह, मान लीजिए कि विचारण न्यायाधीश प्रतिवादी के खिलाफ एक एकतरफा डिक्री को अपास्त करनाते हुए एक आदेश पारित करता है, जो आदेश 43 नियम 1 के किसी भी खंड के तहत अपील योग्य नहीं है, हालांकि एक तरफ से पारित डिक्री को अपास्त करनाने के लिए एक आवेदन को खारिज करने वाला आदेश आदेश 43 नियम 1 खंड (डी) के भीतर आता है और अपील योग्य है, गंभीर प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है कि पहले उल्लिखित आदेश पत्र पेटेंट के अर्थ के भीतर एक निर्णय है या नहीं। हालाँकि, तथ्य यह है कि एकतरफा डिक्री को दरकिनार करने वाला आदेश प्रतिवादी को बहुत लाभ पहुंचाता है और वादी के साथ गंभीर अन्याय करता है क्योंकि आदेश के परिणामस्वरूप, वादी को अब मुकदमा लड़ना पड़ता है और वह अपने पक्ष में पारित डिक्री के फल से वंचित रहता है।इन परिस्थितियों में, इसलिए, विचारण न्यायाधीश द्वारा एकतरफा डिक्री को दरकिनार करते हुए पारित आदेश वादी के मूल्यवान अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और इसलिए एक अंतर्वर्ती निर्णय के बराबर है और इसलिए, एक बड़ी पीठ के लिए अपील योग्य है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

114. विचारण के दौरान, विचारण न्यायाधीश कई आदेश पारित कर सकता है जिसके तहत वाद के अभियोजन में पक्षकारों द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों में से कुछ नियमित प्रकृति के हो सकते हैं, जबकि अन्य आदेश एक पक्ष या दूसरे के लिए कुछ असुविधा पैदा कर सकते हैं, उदाहरण के लिए, स्थगन से इनकार करने वाला आदेश, अतिरिक्त गवाह या दस्तावेजों को बुलाने से इनकार करने वाला आदेश, दस्तावेजों को दाखिल करने में देरी को माफ करने से इनकार करने वाला आदेश, पक्षकारों में से एक को उसके चूक के लिए लागत के आदेश की सुनवाई की पहली तारीख के बाद या एक या दूसरे पक्ष के खिलाफ प्रक्रियात्मक मामले के संबंध में विवेक का प्रयोग करने वाला आदेश।इस तरह के आदेश विशुद्ध रूप से अंतर्वर्ती हैं और निर्णय का गठन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह हमेशा ए के लिए खुला रहेगा।

जी.

एच.

1187

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

पीड़ित पक्ष को विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील में संबंधित पक्ष के खिलाफ पारित आदेश की शिकायत करनी चाहिए।

115. इस प्रकार, दूसरे शब्दों में, प्रत्येक अंतर्वर्ती आदेश को एक निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है, लेकिन केवल वे आदेश ऐसे निर्णय होंगे जो क्षणिक मामलों का निर्णय करते हैं या पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करते हैं और जो संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय करते हैं।इसी तरह, किसी दस्तावेज़ की स्वीकार्यता या प्रासंगिकता के प्रश्न पर निर्णय लेने वाले विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों को भी निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस संबंध में शिकायत को अंतिम निर्णय के खिलाफ अपील में अपीलीय न्यायालय द्वारा ठीक किया जा सकता है।

बी.

सी.

116. हम एक अंतर्वर्ती आदेश का एक और उदाहरण दे सकते हैं जो विवेकाधिकार के प्रयोग के बराबर है और जो अभी भी पेटेंट पत्र के अर्थ के भीतर एक निर्णय के बराबर हो सकता है।मान लीजिए कि विचारण न्यायाधीश वादी को अपनी शिकायत में संशोधन करने की अनुमति देता है या कार्रवाई का कारण या राहत शामिल करता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी को अर्जित सीमा का निहित अधिकार छीन लिया जाता है और उसे निरर्थक बना दिया जाता है।यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में, हालांकि विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश विशुद्ध रूप से विवेकाधीन और अंतर्वर्ती है, यह प्रतिवादी के लिए घोर अन्याय का कारण बनता है जो मुकदमे के बचाव के मूल्यवान अधिकार से वंचित है।इसलिए, इस तरह के आदेश, हालांकि प्रकृति में अंतर्वर्ती है, में अंतिमता की विशेषताएँ और विशेषताएँ शामिल हैं और इसे अक्षर पेटेंट के अर्थ के भीतर एक निर्णय के रूप में माना जाना चाहिए।इस न्यायालय द्वारा शांति कुमार मामले [(1974) 2 एस. सी. सी. 387 में यह निर्णय दिया गया थाःAIR 1974 SC 1719:(1975) 1 एस. सी. आर. 550], जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है।

डी.

ई.

एफ.

117. आइए हम इसी तरह के आदेश का एक और उदाहरण लेते हैं जो एक निर्णय के बराबर नहीं हो सकता है।मान लीजिए, विचारण न्यायाधीश वादी को एक विशेष राहत जोड़कर या एक अतिरिक्त आधार लेकर वाद में संशोधन करने की अनुमति देता है जो उसके द्वारा की गई दलीलों के साथ असंगत हो सकता है, लेकिन सीमा द्वारा वर्जित नहीं है और प्रतिवादी के साथ गंभीर अन्याय नहीं करता है, जिसके पास मुकदमे में वादी द्वारा ली गई संशोधित याचिका को गलत साबित करने का पर्याप्त अवसर होगा।ऐसे मामलों में, विचारण न्यायाधीश का आदेश केवल एक साधारण अंतर्वर्ती आदेश होगा जिसमें अंतिमता की कोई गुणवत्ता नहीं होगी और इसलिए पत्र पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक निर्णय नहीं होगा।

जी.

एच.

118. हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न उदाहरण यह निर्धारित करने के लिए पर्याप्त दिशानिर्देशों का गठन करेंगे कि क्या परीक्षण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पेटेंट पत्र के अर्थ के भीतर एक निर्णय है या नहीं।हालाँकि, हमें यह जोड़ने में जल्दबाजी करनी चाहिए कि हमारे द्वारा दिए गए

उदाहरण उदाहरणात्मक हैं और संपूर्ण नहीं हैं।हम पहले ही कलकत्ता, रंगून और मद्रास उच्च न्यायालयों द्वारा निर्धारित विभिन्न परीक्षणों का उल्लेख कर चुके हैं।जहाँ तक रंगून उच्च न्यायालय का संबंध है, हम पहले ही बता चुके हैं कि यह सख्त परीक्षण कि विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित एक आदेश केवल तभी एक निर्णय होगा जब यह सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक डिक्री के बराबर होगा, कानूनी रूप से गलत है और पत्रों की भाषा के मूल भाव और भावना के विपरीत है।इसलिए हम रंगून उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित परीक्षण को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए उस निर्णय को केवल उस विशेष मामले के तथ्यों तक ही सीमित रखना होगा क्योंकि वह स्थानांतरण का मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि स्थानांतरण के आदेश में किसी भी अंतिमता का कोई सवाल शामिल नहीं था।हम आम तौर पर सर व्हाइट, सी. जे. द्वारा तुलजाराम पंक्ति मामले [आई. एल. आर. 35 मैड 1] (जिसका अधिकांश उच्च न्यायालयों द्वारा पालन किया गया प्रतीत होता है) में निर्धारित परीक्षणों को अपनाना और अनुमोदित करना चाहते हैं, जिसमें सर व्हाइट, सी. जे., या अधिक स्पष्ट रूप से कृष्णस्वामी अय्यर, जे. द्वारा दिए गए व्यापक और व्यापक गुणों को घटाया जाता है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

119. सर व्हाइट, सी. जे. द्वारा निर्धारित परीक्षणों के अलावा, अदालत के साथ निम्नलिखित विचार प्रबल होने चाहिएः

बी.

सी.

डी.

ई.

"(1) यह कि विचारण न्यायाधीश, कानून की विभिन्न शाखाओं का विशाल अनुभव रखने वाला एक वरिष्ठ न्यायालय होने के नाते, जो बहुत उच्च स्थिति में है, उस पर सिविल न्याय के सुव्यवस्थित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विवेकाधीन या अंतर्वर्ती आदेश पारित करने के लिए भरोसा किया जाना चाहिए।इस प्रकार, वाद के दौरान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित कोई भी विवेकाधिकार प्रयोग या नियमित आदेश जो कुछ असुविधा पैदा कर सकता है या कुछ हद तक, एक पक्ष या दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है, उसे निर्णय के रूप में नहीं माना जा सकता है अन्यथा अपीलीय न्यायालय (खंड पीठ) विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित सभी प्रकार के आदेशों की अपीलों से भरा होगा।अदालतों को विचारण न्यायाधीश को पर्याप्त छूट देनी चाहिए और यह धारणा बनानी चाहिए कि कोई भी विवेकाधीन आदेश जो वह पारित करता है, उसे सही माना जाना चाहिए, जब तक कि वह कानूनी रूप से गलत न हो या गंभीर और पर्याप्त अन्याय का कारण न हो।

एफ.

जी.

एच.

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

(2) जब आदेश किसी सहायक कार्यवाही में या स्वयं वाद में या कार्यवाही के किसी भाग में विवादग्रस्त प्रश्नों का निर्णय करता है, तो एक निर्णय होने के लिए अंतर्वर्ती आदेश में अंतिमता के लक्षण और जाल शामिल होने चाहिए।

(3) सर व्हाइट, सी. जे. और सर काउच, सी. जे. द्वारा निर्धारित परीक्षण, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों द्वारा संशोधित किया गया है, जिन पर हमारे द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

बी.

120. इस प्रकार, ये कुछ सिद्धांत हैं जो यह तय करने में एक डिवीजन बेंच का मार्गदर्शन कर सकते हैं कि क्या ट्रायल जज द्वारा पारित आदेश लेटर पेटेंट के अर्थ के भीतर एक निर्णय के बराबर है।हालाँकि, हम पुनरावृत्ति के जोखिम पर अंतर्वर्ती आदेशों के चित्र दे सकते हैं जिन्हें निर्णय के रूप में माना जा सकता हैः(1) कार्रवाई का एक नया कारण पेश करके वाद में संशोधन करने की अनुमति देने वाला आदेश जो मुकदमे की प्रकृति को पूरी तरह से बदल देता है और सीमा के निहित अधिकार या प्रतिवादी को अर्जित किसी अन्य मूल्यवान अधिकार को छीन लेता है।

सी.

डी.

(2) शिकायत को खारिज करने वाला आदेश।

(3) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत एक कार्रवाई में मुकदमे का बचाव करने की अनुमति से इनकार करने वाला आदेश।

ई.

(4) लेटर पेटेंट के खंड 12 के तहत उनके द्वारा दी गई ट्रायल जज की छुट्टी को रद्द करने का आदेश।

(5) सीमा, धारा 80 के तहत नोटिस की अनुपस्थिति के आधार पर मुकदमे की स्थिरता पर प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय करने वाला आदेश, प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे की क्षमता के खिलाफ रोक लगाता है, भले ही मुकदमे को जीवित रखा गया हो।(6) आदेश 12 नियम 6 के तहत प्रवेश पर निर्णय के लिए एक आवेदन को खारिज करने वाला आदेश।

एफ.

(7) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 92 के तहत मुकदमे में आवश्यक पक्षों को जोड़ने से इनकार करने वाला आदेश।

जी.

(8) एक डिक्री को बदलने या संशोधित करने वाला आदेश।

(9) फॉर्मा पॉपरिस में मुकदमा करने की अनुमति से इनकार करने वाला आदेश।(10) समीक्षा प्रदान करने वाला आदेश।

एच.

(11) एक नया मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता के साथ मुकदमे को वापस लेने की अनुमति देने वाला आदेश।

(12) एक आदेश जिसमें कहा गया है कि प्रतिवादी विशेष कानून के अर्थ के भीतर कृषक नहीं हैं।

(13) सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 10 के तहत किसी मुकदमे पर रोक लगाने या रोक लगाने से इनकार करने का आदेश।

बी.

(14) डिक्री के निष्पादन पर रोक लगाने या अस्वीकार करने का आदेश।

(15) वादी के खिलाफ न्यायालयी शुल्क के भुगतान का निर्णय लेने वाला आदेश।"

सी.

121. यहाँ, यह ध्यान दिया जा सकता है कि जबकि वादी द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यायालय की फीस की प्रकृति का निर्णय करने वाला आदेश एक निर्णय होगा, लेकिन यह आदेश केवल वादी या सरकार को प्रभावित करता है, न कि प्रतिवादी को।इस प्रकार, केवल वादी या सरकार को डिवीजन बेंच में अपील दायर करने का अधिकार होगा, न कि प्रतिवादी को क्योंकि न्यायालय की फीस के भुगतान का सवाल सरकार और वादी के बीच का मामला है और प्रतिवादी का इस संबंध में कोई अधिकार नहीं है।

डी.

122. हमारे पास नमूने के रूप में एक आदेश के विभिन्न सचित्र उदाहरण दिए गए हैं जो निर्णय के बराबर हो सकते हैं लेकिन ऐसी विस्तृत सूची देना संभव नहीं है जिसमें सभी संभावित मामले शामिल हों।अपनी गतिशीलता, व्यावहारिकता और विशालता के साथ कानून इतना बड़ा महासागर है कि हमारे लिए हर संभव आकस्मिकता या स्थिति की परिकल्पना करना या प्रदान करना लगभग असंभव है ताकि किसी उपकरण को विकसित किया जा सके या उसे एक जलडमरूमध्य में सीमित करने और कैद करने के लिए एक विस्तृत सूत्र या रणनीति तैयार की जा सके।तथापि, हम आशा और विश्वास करते हैं कि मोटे तौर पर "निर्णय" शब्द के अर्थ पर लगभग एक शताब्दी से चल रहे विवाद का अब निपटारा हो गया होगा और कुछ मामले जो छूट गए होंगे, निस्संदेह संबंधित न्यायालय द्वारा हमारे द्वारा प्रतिपादित परीक्षणों, टिप्पणियों और सिद्धांतों के आलोक में तय किए जाएंगे।

ई.

एफ.

जी.

123. तत्काल मामले में, चूंकि विचारण न्यायाधीश का आदेश एक रिसीवर की नियुक्ति से इनकार करना और एक अंतरिम निषेधाज्ञा देना था, यह निस्संदेह पत्र के अर्थ के भीतर एक निर्णय है क्योंकि दोनों हमारे निर्णय को देखते हुए।आदेश 43 ए

एच.

1191

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

नियम 1 उच्च न्यायालय में आंतरिक अपीलों पर लागू होता है और इसके अलावा गुण-दोष पर भी इस तरह के आदेश में अंतिमता की गुणवत्ता होती है और इसलिए यह लेटर पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक निर्णय होगा।ऊपर उल्लिखित विभिन्न मामलों या अन्य मामलों में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए सुसंगत दृष्टिकोण, जिन्हें पत्र पेटेंट के खंड 15 की सख्त व्याख्या के संबंध में हमारे द्वारा नहीं देखा गया है, को इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है और बॉम्बे उच्च न्यायालय को हमारे निर्णय के आलोक में भविष्य में इस प्रश्न पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है।

बी.

124. इसलिए, हम मानते हैं कि तत्काल मामले में विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पत्र पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक निर्णय है, खंड पीठ के समक्ष अपील बनाए रखने योग्य थी और उच्च न्यायालय की खंड पीठ योग्यता के आधार पर निर्णय लिए बिना अपील को खारिज

करने में त्रुटि थी।हम पहले ही उच्च न्यायालय को 22 अप्रैल, 1981 के अपने औपचारिक आदेश द्वारा योग्यता के आधार पर अपील पर निर्णय लेने का निर्देश दे चुके हैं।"

सी.

डी.

17. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि हालांकि इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि लेटर्स पेटेंट में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द को एक संकीर्ण अर्थ नहीं दिया जा सकता है जैसा कि सी. पी. सी. में उपयोग किए गए 'निर्णय' शब्द को दिया गया है और इसकी बहुत व्यापक और अधिक उदार व्याख्या होनी चाहिए, हालांकि, साथ ही, ट्रायल जज द्वारा पारित प्रत्येक आदेश को 'निर्णय' नहीं माना जा सकता है क्योंकि लेटर्स पेटेंट के तहत अपील करने योग्य आदेशों की संख्या का कोई अंत नहीं होगा।यह माना गया है कि 'निर्णय' शब्द में निस्संदेह व्यापक रूप से अंतिमता की अवधारणा है न कि संकीर्ण अर्थ में।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां कोई आदेश प्रतिवादियों के मूल्यवान अधिकार को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, उसे निस्संदेह लेटर्स पेटेंट के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' के रूप में माना जाएगा ताकि एक बड़ी पीठ के समक्ष अपील की जा सके।

ई.

एफ.

18. यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिकांश अंतर्वर्ती आदेश जिनमें अंतिमता की गुणवत्ता होती है, आदेश XLIII नियम 1 सी. पी. सी. के खंड (ए) से (डब्ल्यू) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं और पत्र पेटेंट के अर्थ के भीतर 'निर्णय' होंगे और इसलिए, अपील योग्य होंगे। हालाँकि, ऐसे अंतर्वर्ती आदेश हो सकते हैं जो आदेश XLIII नियम 1 सी. पी. सी. द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन जिनमें अंतिमता की विशेषताएँ और जाल भी हैं क्योंकि ऐसे आदेश पक्ष के मूल्यवान अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं या सहायक कार्यवाही में मुकदमे के एक महत्वपूर्ण पहलू का निर्णय ले सकते हैं।हालाँकि, यह भी माना गया है कि इस तरह के आदेश को 'निर्णय' होने के लिए, संबंधित पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव प्रत्यक्ष होना चाहिए।

जी.

एच.

और अप्रत्यक्ष या दूरस्थ के बजाय तत्काल।इस न्यायालय द्वारा पैरा (120) में अंतर्वर्ती आदेशों के विभिन्न उदाहरण दिए गए हैं, जिन्हें अपील योग्य माना जा सकता है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि वाद के दौरान विचारण न्यायाधीश द्वारा पारित किसी भी विवेकाधिकार का प्रयोग या नियमित आदेश से कुछ असुविधा हो सकती है या कुछ हद तक, एक पक्ष या दूसरे के प्रति पूर्वाग्रह हो सकता है, उन्हें 'निर्णय' के रूप में तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कि उनमें अंतिमता के लक्षण और जाल न हों।इस न्यायालय ने पैरा (122) में व्यक्त किया है कि यद्यपि उसने, नमूने के रूप में, एक आदेश के विभिन्न सचित्र उदाहरण दिए थे जो एक निर्णय के बराबर हो सकता है, लेकिन ऐसी विस्तृत सूची देना संभव नहीं होगा जिसमें सभी संभावित क्षेत्र शामिल हों।उक्त मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एकल न्यायाधीश का एक प्राप्तकर्ता की नियुक्ति और एक अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार करने का आदेश निस्संदेह लेटर्स पेटेंट के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' था, दोनों क्योंकि आदेश XLIII नियम 1 सी. पी. सी. उच्च न्यायालय में आंतरिक अपीलों पर लागू होता है और इस तरह के आदेश में गुण-दोष पर भी अंतिमता की गुणवत्ता होती है और इसलिए यह लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' होगा।

बी.

सी.

डी.

19. न्यायमूर्ति ए. एन. सेन ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि विचाराधीन आदेश आदेश XLIII सी. पी. सी. सहपठित धारा 104 (1) के तहत अपील योग्य था, इस सवाल में जाना आवश्यक नहीं पाया कि क्या ऐसा आदेश लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के तहत अपील योग्य होगा। विद्वान न्यायाधीश की निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख करना उचित होगाः“151. .....मेरी राय में, लेटर्स पेटेंट के खंड 15 में विचार किए गए 'निर्णय' की एक विस्तृत या व्यापक परिभाषा ठीक से नहीं दी जा सकती है और यह याद रखना बुद्धिमानी होगी कि लेटर्स पेटेंट में ही 'निर्णय' शब्द की कोई परिभाषा नहीं है।प्रत्येक विशेष मामले में अभिव्यक्ति का अर्थ और व्याख्या आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।तथापि, यह कहना सुरक्षित है कि यदि किसी आदेश का अंत में मुकदमे के विषय-वस्तु या उसके किसी भाग को बनाने वाले किसी विवाद का निर्धारण करने का प्रभाव पड़ता है या वह न्यायालय की अधिकारिता या सीमा के प्रश्न को प्रभावित करता है, तो ऐसा आदेश आम तौर पर पेटेंट पत्र के खंड 15 के अर्थ के भीतर 'निर्णय' का गठन करेगा।”

ई.

एफ.

जी.

20. न्यायमूर्ति सेन ने दोहराया कि यह कहना सुरक्षित है कि यदि किसी भी आदेश का अंत में किसी भी विवाद का निर्धारण करने का प्रभाव पड़ता है-वाद का विषय या उसका कोई हिस्सा या वही अदालत के अधिकार क्षेत्र या सीमा के प्रश्न को प्रभावित करता है, तो ऐसा आदेश ए

एच.

1193

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

आम तौर पर लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर 'निर्णय' का गठन करता है।हालाँकि उन्होंने कहा कि प्रत्येक विशेष मामले में अभिव्यक्ति का अर्थ और व्याख्या आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।

21. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली के साथ-साथ न्यायमूर्ति ए. एन. सेन के दोनों निर्णयों में एक समान सूत्र है कि क्या आक्षेपित आदेश पेटेंट पत्र के खंड 15 के दायरे में एक 'निर्णय' होगा, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।हालाँकि, इस तरह के आदेश को 'निर्णय' के रूप में समझने के लिए, इसमें अंतिमता के लक्षण और गुण होने चाहिए।'निर्णय' के दायरे में आने के लिए, इस तरह के आदेश को पक्षों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करना चाहिए, जो संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय करता है।मुकदमे के दौरान न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, हालांकि किसी एक पक्ष को कुछ असुविधा पैदा कर सकता है या कुछ हद तक किसी एक पक्ष के प्रति कुछ पूर्वाग्रह पैदा कर सकता है, इसे 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता है।यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील का रास्ता खुला रहेगा।

बी.

सी.

डी.

22. इस अवलोकन के आलोक में, हमें इस बात पर विचार करना होगा कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 को पारित आदेश को लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' के रूप में माना जा सकता है।

ई.

23. विद्वत एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश द्वारा जो विद्वान है, वह अपीलार्थियों-प्रतिवादियों को विपक्ष में हलफनामा दायर करने और अंतरिम निषेधाज्ञा देने के मुद्दे को तीन सप्ताह के लिए स्थगित करने के लिए दो सप्ताह का समय देना था।इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान एकल

न्यायाधीश ने एक स्थान पर यह मत व्यक्त विद्वान है कि प्रथम दृष्टया उनका विचार था कि 'श्याम' अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों के व्यावसायिक नाम का हिस्सा होने के नाते, अपीलकर्ताओं-प्रतिवादियों को अपनी पैकेजिंग पर उक्त शब्द 'श्याम' का उपयोग करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उसी आदेश में, उन्होंने स्पष्ट विद्वान है कि उक्त आदेश में उन्होंने जो भी टिप्पणियां की हैं, वे प्रथम दृष्टया अंतरिम चरण में आदेश पारित करने के उद्देश्य से थीं और शपथ पत्रों के आदान-प्रदान के बाद उक्त आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने के समय उनकी कोई प्रासंगिकता नहीं होगी।

एफ.

जी.

24. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि आदेश वास्तव में इस प्रश्न का स्थगन था कि क्या प्रतिवादी-वादी अंतरिम निषेधाज्ञा देने का हकदार था या नहीं, और वह भी केवल तीन सप्ताह तक।आदेश केवल अपीलार्थियों को एक अवसर दे रहा था -

एच.

प्रतिवादियों को दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपना विरोध-पत्र दाखिल करना होगा।आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समय बढ़ाने की किसी भी प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।इसलिए विद्वान एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी-वादी की अंतरिम निषेधाज्ञा देने की प्रार्थना पर विचार करने के संबंध में मुद्दे को केवल तीन सप्ताह की अवधि के लिए स्थगित कर दिया और वह भी केवल अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दायर करने का अवसर देने के लिए।ऐसा करते समय, प्रतिवादी-वादी के हितों की भी रक्षा की गई थी, क्योंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया था कि वे अपने उत्पादों की बिक्री के साप्ताहिक खाते बनाए रखें जो कक्षा 6 के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें 'श्याम' चिह्न के तहत बेचा जाता था।25. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वाद के लंबित रहने के दौरान एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रतिवादी-वादी के अधिकारों के संबंध में कोई निर्णय नहीं था।यद्यपि अंतरिम निषेधाज्ञा देने के संबंध में मुद्दे को स्थगित करने से, आदेश से कुछ असुविधा हो सकती है और कुछ हद तक, प्रतिवादी-वादी के लिए पूर्वाग्रह हो सकता है; इसे 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता है क्योंकि इस बारे में कोई निर्णायक निष्कर्ष नहीं था कि क्या प्रतिवादी-वादी अंतरिम निषेधाज्ञा देने का हकदार था या नहीं।इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में अंतिमता के लक्षण और गुण नहीं थे।यदि यह अन्यथा आयोजित किया जाता है, तो यह उन पक्षों के लिए अपीलों की बाढ़ खोल देगा जो स्थगन के आदेश को चुनौती दे सकते हैं या दूसरे पक्ष को जवाब में हलफनामा दायर करने के

लिए समय दे सकते हैं।इसलिए हमारा विचार है कि 2 अप्रैल 2019 के आदेश को लेटर्स पेटेंट के खंड 15 के अर्थ के भीतर एक 'निर्णय' नहीं माना जा सकता है और इस तरह, उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील मान्य नहीं थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

26. हम स्पष्ट करते हैं कि जैसा कि शाह बाबूलाल खिमजी (उपरोक्त) में कहा गया है, हम वर्तमान मामले में दिखाई देने वाले तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा मान रहे हैं।

27. इसके साथ, हम उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित फैसले और आदेश को दरकिनार करके वर्तमान अपील को बहुत अच्छी तरह से स्वीकार कर सकते थे।हालाँकि, चूंकि हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण कानून के विभिन्न सुव्यवस्थित सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत था, इसलिए हमें विवादित निर्णय और आदेश में उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विभिन्न निष्कर्षों और टिप्पणियों की शुद्धता पर विचार करने की आवश्यकता है।

जी.

एच.

1195

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

28. विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2019 को एक आदेश पारित विद्वान ।ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ में अपील इसके तुरंत बाद अप्रैल के महीने में दायर की गई थी, हालांकि अपील दायर करने की सही तारीख ज्ञात नहीं है।इसमें आक्षेपित निर्णय और आदेश विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की तारीख से लगभग 8-9 महीने के अंतराल के बाद पारित विद्वान गया था।यहाँ आक्षेपित निर्णय और आदेश के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के वकील ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया था कि अपील एक अंतरिम आदेश के खिलाफ थी और इसलिए, अपील न्यायालय को अपने विचारों को प्रतिस्थापित करके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बजाय प्रतिवादी-वादी के

अंतरिम आवेदन की त्वरित सुनवाई का निर्देश देना चाहिए।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त निवेदन दर्ज करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी कीः

बी.

सी.

“इस मामले के गुण-दोष के संबंध में चर्चा में प्रवेश करने से पहले मैं कहता हूं कि सभी तथ्य और कागजात जो पक्षों के प्रथम दृष्टया मामले को तय करने के लिए आवश्यक थे, हमारे सामने थे।इन तथ्यों और साक्ष्यों पर हम उनके संबंधित प्रथम दृष्टया मामले और सुविधा के संतुलन का आकलन करने की स्थिति में थे।उन परिस्थितियों में हम एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करने और इसे निपटाने के लिए नीचे की न्यायालय में भेजने के बजाय स्वयं अंतर्वर्ती आवेदन का निपटारा करने का प्रस्ताव करते हैं।यह मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से लंबा करना और समय की बर्बादी होगी।”

डी.

ई.

29. उच्च न्यायालय की खंड पीठ की ओर से अंतर्वर्ती आवेदन को निपटाने के लिए इसे नीचे की न्यायालय में भेजने के बजाय स्वयं निपटाने की चिंता को समझना मुश्किल है।जब उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने स्वयं अपील पर निर्णय लेने में 8 से 9 महीने का समय लिया, तो यह समझना मुश्किल है कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों का "मुकदमेबाजी को अनावश्यक रूप से लंबा करने और समय की बर्बादी" से क्या तात्पर्य था।यदि डिवीजन बेंच के विद्वान न्यायाधीश मुकदमेबाजी के लंबे समय तक चलने के बारे में बहुत चिंतित थे, तो वे विद्वान एकल न्यायाधीश से एक निर्धारित अवधि के भीतर निषेधाज्ञा आवेदन पर निर्णय लेने का बहुत अच्छी तरह से अनुरोध कर सकते थे।8-9 महीने की अवधि के लिए प्रतीक्षा करने के बजाय, यह उनके द्वारा पहली बार में किया जा सकता था जब अपील सूचीबद्ध की गई थी। निचली विचारण न्यायालय और अपीलीय विचारण न्यायालय का पदानुक्रम मौजूद है ताकि निचली विचारण न्यायालय कानून के तय किए गए सिद्धांतों पर अपने विवेक का प्रयोग कर सके।एक अपीलीय न्यायालय, इसके बाद

एफ.

जी.

एच.

विचारण विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को अभिलिखित किया जाता है, विचारण न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण की सराहना करने और उपलब्ध सीमित क्षेत्र के भीतर शुद्धता या अन्यथा की जांच करने का लाभ होता है।यदि अपीलीय न्यायालय स्वयं निचली विचारण न्यायालय द्वारा तय किए जाने वाले मामलों का फैसला करता है, तो न्यायालयों के पदानुक्रम की कोई आवश्यकता नहीं होगी।जैसा कि मोनसेंटो टेक्नोलॉजी एल. एल. सी. (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा कहा गया है, अपीलीय न्यायालय एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को यह तय करने के लिए हड़प नहीं सकता है कि मामले में प्रथम दृष्टया मामले, सुविधा संतुलन और अपूरणीय क्षति के परीक्षण किए जाते हैं या नहीं।

बी.

30. यद्यपि उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियां हैं, जो हमारे विचार में पूरी तरह से अनुचित हैं, हम उन्हें संदर्भित करने से बचते हैं क्योंकि उन पर कोई भी टिप्पणी अनावश्यक रूप से किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करेगी।हम खुद को केवल उच्च न्यायालय की खंड पीठ की न्यूनतम संभव टिप्पणियों तक सीमित रखेंगे।

सी.

31. हालांकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय अंतरिम आवेदन में निचली विचारण न्यायालय की राय के साथ अपनी राय को तब तक प्रतिस्थापित नहीं करेगा जब तक कि आदेश में कोई विकृति न हो, यह इस बात पर चर्चा करने में विफल रहता है कि निचली विचारण न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण या तो विकृत था या असंभव था।एक स्थान पर, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा हैः

डी.

ई.

" अब, सवाल यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपने विवेक का सही ढंग से प्रयोग विद्वान और क्या इस न्यायालय को विवेक के उस प्रयोग में हस्तक्षेप करना चाहिए।"

और उसी सांस में देखता है किः

एफ.

" इसलिए, हमने याचिका के साथ-साथ हमारे सामने अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर मामले पर विचार किया है।हमारी राय में, इस विचारण न्यायालय को केवल यह मूल्यांकन करने के लिए नहीं कहा गया है कि विद्वान विचारण विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का प्रयोग सही था या गलत।"

जी.

फिर इसके तुरंत बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा किः

" यह न्यायालय मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक एक उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित करने के लिए कर्तव्यबद्ध है।"

एच.

1197

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

ए.

32. हम अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं कि एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील में, यदि उच्च न्यायालय की खंड पीठ को इस प्रश्न का मूल्यांकन करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या निचली विचारण न्यायालय द्वारा प्रयोग किया गया विवेकाधिकार सही था या गलत, तो उसे और क्या करने की आवश्यकता है।हम अपीलीय न्यायालय के कर्तव्य के स्रोत का पता लगाने में असमर्थ हैं जो इसे मुकदमे की सुनवाई लंबित रहने तक एक उपयुक्त अंतरिम आदेश पारित करने के लिए बाध्य बनाता है।

बी.

33. उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने आगे कहा कि ऐसा करने के लिए उसे खुद को ऐसी स्थिति में रखना होगा जैसे कि उसे मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए स्थानांतरित किया गया हो।दोहराव की कीमत पर, हम दोहराते हैं कि यदि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के दृष्टिकोण को बरकरार रखना है, तो निचली अदालतों की कोई आवश्यकता नहीं होगी।इसके बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि मामला वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) से अलग था।उच्च न्यायालय की खंड पीठ वहीं रुकती है।यह देखने में भी परेशानी नहीं होती है कि इसके समक्ष अपील का दायरा वांडर लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा परिभाषित दायरे से कैसे अलग था।इसके बाद एक पंक्ति में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से तथ्यों पर प्रथम दृष्टया मामला अपीलार्थी (वादी) के पक्ष में है और उसके बाद, निषेधाज्ञा सहित विभिन्न निर्देश पारित करता है।हालाँकि, वास्तव में, यह आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन को अनुमति देकर पूरी तरह से अपील की अनुमति देता है, लेकिन यह अंतिम पैरा में शालीनता से देखता है कि यह केवल विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 2 अप्रैल 2019 के आदेश को संशोधित कर रहा था।

सी.

डी.

ई.

34. उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने वांडर लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले का उल्लेख करने के लिए बहुत मेहनत की है।यह निर्णय दशकों से देश में अपीलीय न्यायालयों का मार्गदर्शन कर रहा है, जबकि अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं को देने या अस्वीकार करने के लिए निचली अदालतों द्वारा विवेक और अधिकार क्षेत्र की शुद्धता पर विचार करते हुए अपने अपीलीय अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर रहा है।उक्त मामले में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने वादी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को अस्वीकार कर दिया था जो पंजीकृत व्यापार चिह्न का पंजीकृत मालिक होने का दावा कर रहा था।उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उलट दिया था और अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान की थी।उच्च न्यायालय की खंड पीठ के आदेश को पलटते हुए और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बनाए रखते हुए, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

एफ.

जी.

एच.

"14. डिवीजन बेंच के समक्ष अपील एकल न्यायाधीश द्वारा विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ थी।ऐसी अपीलों में, अपीलीय न्यायालय प्रथम दृष्टया न्यायालय के विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप नहीं करेगा और अपने स्वयं के विवेकाधिकार को प्रतिस्थापित करेगा, सिवाय इसके कि जहां विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, या मनमौजी या विकृत रूप से किया गया है या जहां न्यायालय ने अंतर्वर्ती निषेधाज्ञाओं के अनुदान या इनकार को विनियमित करने वाले कानून के तय किए गए सिद्धांतों की अनदेखी की है।विवेकाधिकार के प्रयोग के खिलाफ अपील को सिद्धांत रूप में अपील कहा जाता है।अपीलीय न्यायालय सामग्री का पुनर्मूल्यांकन नहीं करेगा और नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा पहुँचाए गए निष्कर्ष से अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेगा यदि उस न्यायालय द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष सामग्री पर यथोचित रूप से संभव था।अपीलीय न्यायालय आम तौर पर केवल इस आधार पर अपील के तहत विवेकाधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा कि यदि उसने मुकदमे के चरण में मामले पर विचार किया होता तो वह एक विपरीत निष्कर्ष पर पहुंच जाता।यदि निचली न्यायालय द्वारा विवेक का उचित और न्यायिक तरीके से प्रयोग किया गया है, तो यह तथ्य कि अपीलीय न्यायालय ने एक अलग दृष्टिकोण लिया होगा, निचली न्यायालय के विवेक के प्रयोग में हस्तक्षेप को उचित नहीं ठहरा सकता है।इन सिद्धांतों का उल्लेख करने के बाद

बी.

सी.

डी.

गजेंद्रगडकर, जे. इन प्रिंटर्स (मैसूर) प्राइवेट लिमिटेड बनाम.पोथान

जोसेफ [(1960) 3 एससीआर 713:ए. आई. आर 1960 एस. सी. 1156]:(एससीआर 721) "। ये सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित हैं, लेकिन जैसा कि विस्काउंट साइमन ने चार्ल्स ओसेनटन एंड कंपनी बनाम में देखा है।झानाटन [1942 ए. सी. 130] '. अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश की अपील की न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तन के बारे में कानून अच्छी तरह से स्थापित है, और कोई भी कठिनाई जो उत्पन्न होती है वह केवल एक व्यक्तिगत मामले में अच्छी तरह से तय किए गए सिद्धांतों के अनुप्रयोग के कारण होती है।'"

ई.

एफ.

अपीलीय निर्णय इस सिद्धांत को टालता हुआ प्रतीत नहीं होता है।"35. यद्यपि उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों ने एक से अधिक अवसरों पर वांडर लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख विद्वान है, लेकिन उन्होंने, नाम के लिए, यह भी नहीं देखा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेकाधिकार का उपयोग मनमाने ढंग से, मनमाने ढंग से या विकृत रूप से कैसे विद्वान गया था।हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा आदेश पारित किए जाने के बाद 8 से 9 महीने तक प्रतीक्षा करने के बाद, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विद्वान न्यायाधीशों को केवल विद्वान एकल ए से अनुरोध करना चाहिए था।

जी.

एच.

1199

श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और एक और बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड [बी. आर. गवई, जे.] ए.

न्यायाधीश अंतरिम निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेंगे, जो वास्तव में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने 2 अप्रैल 2019 से तीन सप्ताह के बाद करने के लिए निर्धारित विद्वान था।हमारे विचार में, यह आवश्यक भी नहीं था कि उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने 24 दिसंबर 2019 तक इंतजार किया हो और पहली बार में आवेदन पर निर्णय लेने का कष्ट उठाया हो।यह बहुत

अच्छी तरह से, अप्रैल, 2019 के महीने में ही, विद्वान एकल न्यायाधीश से आवेदन पर निर्धारित समय के अनुसार निर्णय लेने का अनुरोध करने की कवायद कर सकता था।

बी.

36. किसी भी स्थिति में, हालांकि उच्च न्यायालय की खंड पीठ का मानना है कि अंतरिम निषेधाज्ञा देने के संबंध में प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए, उसे खुद को इस स्थिति में रखना होगा जैसे कि उसे मुकदमे में अंतरिम आदेश पारित करने के लिए स्थानांतरित किया गया था, वह उन सिद्धांतों को ध्यान में रखने में भी विफल रहता है जिन्हें न्यायालय को इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेते समय ध्यान में रखना आवश्यक है।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि अंतरिम निषेधाज्ञा देने के सवाल पर विचार करते समय, अदालतों को प्रथम दृष्टया मामले के तीन परीक्षणों, सुविधा का संतुलन और अपूरणीय क्षति पर विचार करने की आवश्यकता होती है।एक छिटपुट अवलोकन के अलावा कि प्रतिवादी-वादी ने एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं है कि प्रतिवादी-वादी द्वारा प्रथम दृष्टया मामला कैसे बनाया गया था। किसी भी मामले में, जहां तक सुविधा के संतुलन और अपूरणीय क्षति के परीक्षणों का संबंध है, उच्च न्यायालय की खंड पीठ के विवादित निर्णय और आदेश में इनका उल्लेख भी नहीं है।हमारे विचार में, उच्च न्यायालय की खंड पीठ का दृष्टिकोण पूरी तरह से अनुचित और अनावश्यक था। हम किसी भी मजबूत शब्द का उपयोग करने से खुद को रोकते हैं।37. हम पाते हैं कि यह सही समय है कि इस न्यायालय को अमूल्य न्यायिक समय बर्बाद करने वाले अपील योग्य आदेशों के खिलाफ दायर की जा रही तुच्छ अपीलों पर ध्यान देना चाहिए।जैसा कि है, भारत में अदालतें पहले से ही भारी विचाराधीनता के बोझ तले दबी हुई हैं।उन पक्षों के कहने पर ऐसी अनुचित कार्यवाही को हतोत्साहित किया जाना चाहिए जो इस तरह के मुकदमों का खर्च वहन कर सकते हैं।इसलिए हम पाते हैं कि वर्तमान अपील सांकेतिक लागत के साथ अनुमति देने योग्य है। प्रतिवादी-वादी सुप्रीम न्यायालय मिडिल इनकम ग्रुप लीगल एड सोसाइटी (एम. आई. जी.) को 5 लाख रुपये की सांकेतिक लागत का भुगतान करेगा।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

38. परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति दी जाती है।24 दिसंबर 2019 के विवादित फैसले और आदेश अपास्त करना कर दिया गया है।विद्वान एकल न्यायाधीश से अनुरोध विद्वान जाता है कि वह प्रतिवादी-वादी द्वारा आदेश XXXIX नियम 1 और 2 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन पर इस फैसले की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में निर्णय लें।जब तक अगले आदेश पारित नहीं हो जाते

विद्वान एकल न्यायाधीश, विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2 अप्रैल 2019 को पारित आदेश जारी रहेगा।

39. हम स्पष्ट करते हैं कि हमने मामले के गुण-दोष को नहीं छुआ है और प्रत्यर्थी-वादी द्वारा दायर निषेधाज्ञा के लिए आवेदन पर निर्णय लेते समय विद्वान एकल न्यायाधीश या उच्च न्यायालय की खंड पीठ या हमारे द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी किसी भी तरह से विद्वान एकल न्यायाधीश के साथ नहीं होगी।

बी.

40. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

सी.

बिभूति भूषण बोस

अपील की अनुमति दी गई।

(सहायकः शुभांशु दास, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.